न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच

उपस्थितः कविता निगम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. CODE – UP6320

दाण्डिक निगरानी संख्या – 179/2024

UPBH010029242024

1– राधिका देवी आयु करीब 47 वर्ष पत्नी लाले

2– किशोरी लाल आयु करीब 54 वर्ष पुत्र सुन्दर लाल

निवासीगण ग्राम खैराधौंकल, थाना रामगांव जिला बहराइच।

3– अजमतुलनिशा आयु करीब 71 वर्ष पत्नी युनूस खान

4– मुन्नी देवी आयु करीब 58 वर्ष पत्नी सागर

निवासीगण ग्राम सबलापुर, थाना को0 देहात, जिला बहराइच।

----------निगरानीकर्तागण

बनाम

1– उ0प्र0 सरकार द्वारा डी.जी.सी., क्रिमीनल, बहराइच।

2– हीरालाल बालिग पुत्र उदयराज, निवासी ग्राम, नहकटिया, थाना को0 देहात, जिला बहराइच। **----------उत्तरदातागण।**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 179/2024, मुकदमा संख्या 3006/2022, हीरालाल बनाम राधिका देवी आदि, अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0, थाना हरदी जिला बहराइच, में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.10.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है तथा ठहरने योग्य नहीं है। प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व विद्वान अवर न्यायालय को अपने न्यायिक मस्तिष्क का सम्यक प्रयोग करना चाहिये था किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने ऐसा न करके सामान्य रित्यचर्या में Non Speaking व Unreasoned आदेश पारित किया है जो पूरी तरह Perserve है तथा स्थापित विधि व नियमों के विपरीत है। परिवाद के सम्पूर्ण अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट

Digitally signed by KAVITA NIGAM
Date: 2026.03.10 16:22:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है कि परिवाद/प्रत्यर्शी सं0 2 द्वारा सिविल प्रकृति के विवाद को दबाव बनाने की दुर्भावना से आपराधिक प्रक्रिया में लाने का प्रयास किया गया है जिस सम्बन्ध में आपराधिक विधिक प्रक्रिया संधार्य नहीं है तथा स्वयं परिवादी द्वारा परिवाद में व अपने कथन में तथा साक्षीगण द्वारा दिये गये कथनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन सिविल राजस्व वाद से ही हो सकता है किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर सरसरी तौर पर अनियमित आदेश पारित करके अपने क्षेत्राधिकार का अतलंघन किया है। विद्वान अवर न्यायालय को प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व परिवाद कथानक, बयान परिवादी व साक्षीगण अन्तर्गत धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 व प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों की गहनता से जांच करके निष्कर्ष निकालना चाहिये था किन्तु ऐसा न करके विद्वान अवर न्यायालय ने विधि व तथ्य की त्रुटि कारित किया है तथा परिवाद के सम्पूर्ण कथानक, बयान साक्षीगण व दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 का नहीं बनता है तथा उक्त अपराध के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवादके परिशीलन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता सं0 1 को विवादित भूमि सक्षम विधिक प्रक्रिया से प्राप्त हुई है तथा निगरानीकर्ता सं0 1 के पूर्व स्वामी को भी उक्त सम्पत्ति सक्षम न्यायायलय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत पारित आदेश से प्राप्त हुई थी तथा निगरानीकर्ता संख्या 2 ता 4 Bonafide Purchaser की कोटी में आते है। सम्पत्ति के विक्रय से रोक सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य परिवादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा विधि अनुसार सम्पत्ति का अन्तरण किया जा सकता था किन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व तथ्यों की अनदेखी करके Conjectures व surmises पर आधारित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। परिवाद के सम्पूर्ण कथानक के अवलोकन से प्रार्थी/निगरानीकर्तागण के विरूद्ध आपराधिक विधि का कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही का पर्याप्त आधार नहीं बनता है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही का पर्याप्त आधार नहीं है। परिवादी/प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2021 में भी निगरानीकर्तागण के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। उक्त प्रार्थना पत्र दिये जाने से दस माह विलम्ब से परिवाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया थी जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया जो प्रत्यर्थी सं0 2 परिवादी की दुर्भावना व बदनीयति को दर्शाता है किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने तथ्यों की जांच न करके अनुमानों व अटकलों के आधार पर आदेश पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। निगरानी

श्रवण का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में निगरानी हाजा स्वीकार फरमाकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांक 20.10.2023 अपास्त फरमाये जाने की कृपा की जावे।

3. निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी के कथन के समर्थन में फेहरिस्त के माध्यम से नकल आदेश दिनांकित 20.10.2023 व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है।

4. रेस्पाण्डेन्ट को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परीशीलन करते हुये आदेश पारित किया जा रहा है।

5. पुनरीक्षण न्यायालय को पुनरीक्षण के निस्तारण में विधिक रुप से इस तथ्य पर विचार करना होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण तथ्य, क्षेत्राधिकार, लोक तथा अनियमितता प्रयोग कर पारित किया गया है। यदि पारित आदेश में उक्त विधिक त्रुटि स्पष्ट होती है तब भी उन परिस्थितियों में पुनरीक्षण न्यायालय पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी का संक्षिप्त कथन है कि प्रार्थी ग्राम नहकटिया थाना कोतवाली देहात का स्थाई निवासी है जिसके मकान की सं0–359 परिवार रजिस्टर में दर्ज कागजात है जिसमें सपरिवार निवास करता है प्रार्थी अपने पिता से चार भाई थे जिनमें से बड़े भाई भगवानदीन थे जिनका देहान्त हो गया है जिनके दो लड़के राम औतार एवं मोतीलाल थे जिनमें से अवतार मृतक है दूसरे भाई देवतादीन को जिनकी शादी नहीं हुई थी जोलावल्द थे जिनका देहान्त हो गया तीसरा भाई महावीर था जिनका भी देहान्त हो गया जिसका लड़का देवसरन है तीसरा भाई प्रार्थी है जो सबसे छोटा है। परिवादी के भाई देवतादीन का देहान्त वर्ष 1987 में हो गया था तो पैत्रिक आराजी गाटा सं0–173 रकया 1.469 डि–0.5950 हे0, गाटा सं0 196–1.300 डि0 0.5260 हे0, गाटा सं0 215 रकबा 0.703 डि– 0.2830 हे0 स्थित ग्राम नहकटिया तह 0 महसी जिला बहराइच की वरासत प क 19 क दिनांक 18–1–87 में परिवादी एवं परिवादी के भाईयों के नाम निर्वविवादित रूप से वाद जांच मौका कानूनगो द्वारा नियमानुसार की गयी थी तद्नुसार बराबर मौके पर बतौर सहखातेदारान काबिज एवं दाल चले आ रहे हैं परिवादी एवं अन्य भाईगण निहायत अशिक्षित सीधे साधे व्यक्ति है परन्तु एक रिश्तेदार लल्लू प्रसाद पुत्र देवताप्रसाद निवासी ग्राम खैरा धौकल थाना रामगांव का था जो निहायत जाल फरेच किस्म का था जिसने विपक्षी नं06 जो ग्राम प्रधान खैराधौकल था तथा विपिक्षी नं 07 जो पंचायत सिक्रेटरी ब्लाक तेजवापुर का था जो पूर्व प्रधान रहीमन पत्री मो0 हनीफ विपक्षनी नं05 को अनुचित धन देकर षडयन्त्र के आधार पर अपना नाम जाली परिवार रजिस्टर में लाले पुत्र देवता ग्राम नहकटिया के परिवार रजिस्टर में म 0 359 के साथ में 359 वी बढाकर अपना नाम लाले पुत्र देवतादीन

लिखकर एक वाद दारा 34 एल 0 आर 0 एक्ट नं0– 224/178/70/46/23 का चोरी से बिना सम्मन नोटिस तामील कराये कर्मचारियों से साज करके विपक्षी नं0–5 की लिखित बयान हलफी दिनांक 04–10–12 को रिकार्ड कराकर तथा विपक्षनी नं0 6 को नोटरी शपथ लेकर स्वयं का बयान करके एक पक्षीय आदेश तहसीलदार महसी द्वारा दिनांक 30–12–2015 को आदेश कराकर प क 11 क का आदेश दिनाक 18–1–1987 को निरस्त करा दिया तत्पश्चात् परिवादी को जानकारी होने पर बाजदायर एवं अपील प्रस्तुत करायी गयी जो विचाराधीन चल रहा है सभी मुकदमों की जानकारी रखते हुए विपक्षनी नं0 1 के पति लल्लू प्रसाद परिवर्तित नाम लाले पुत्र देवता ने अपना पता खौरा धौकल का सही दिखाकर विपक्षी किशोरी लाल पुत्र सुन्दर लाल निवासी यौरा धौकल थाना रामगांव को विवादित आराजी में से 1/4 अंश गाटा संख्या 196 रकबा 0.5260 हे0 में से क्षेत्रफल 0.1315 का रजिस्ट्री बैनामा दिनाक 27–5–2016 की अनुचित धन लेकर आराजी के को पाक साफ बैनामा में दर्शाकर दिया जो विधिसम्मत बैनामा नहीं है दौरान मुकदमा तथाकथित लाले की मृत्यु हो जाने पर दिनांक 22–4–2015 को प क 11 के में वरासतन की पत्नी विपक्षनी नं 1 के नाम तथा नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज कागजात होने विपक्षनी नं० 1 ने दौरान मुकदमा अनुचित धन प्राप्त करने के उद्देश्य से विपाक्षनी 20 के पक्ष में आराजी गाटा संख्या 173 एच 215 के क्षेत्रफल में से 1/4 अंश अपना देशा 2195 है० की आराजी का राजस्ट्री बैनामा दिनाक 15–5–2019 को विपक्षी नं० 3 ता 4 के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा कर दिया इस प्रकार से परिवादी की पैत्रिक आराजी के 1/4 अश का जास फरेब के आधार पर विपक्षनी न० 1 के पति तथाकथित लाले पुत्र देवता नि० नहकटिया में परिवादी के नाम की वरासत दिनांक 18–1–87 को खारिज कराकर दिनांक 30–12–2015 को तहसीलदार महोदय महसी की अदालत द्वारा विधि विरुद्ध आदेश कराकर विपक्षीगण 5 ता 7 ने जाली अभिलेखा द्वारा विवाद के दौरान अंतरण कराया गया है और विपक्षनी नं० 1 के पति द्वारा विपक्षी नं० 2 को जाली बैनामा का विपक्षी नं० 1 द्वारा स्वयं जाल फरेब करके विपक्षीगण 3 ता 4 को बैनामा किया गया है फिर भी विपक्षीगण 1 ता 4 ने सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सके चूंकि विपक्षीगण 2 ता 4 को बैनामा बिना कानूनी बँटवारा कराये एवं विसा अंश निर्धारण कराये हुए कुछ आबादी भूमि का गैर कानूनी तौर से कृषक आराजी दर्शाकर कराया है जिसके विरुद्ध परिवादी एवं अन्य सह परिवादीगण के मध्य पैरवी मुकदमा करने आने पर बराबर गालिया देकर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16–1–2021 को एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच को दी गयी थी लेकिन थाना की पुलिस से विपक्षीगण मिलकर कानूनी कार्यवाही नहीं होने दी गयी सम्पूर्ण घटना तहसील महसी के अन्तर्गत की गयी है। समस्त विपक्षीगण ने षडयन्त्र के आधार पर अनुचित धन प्राप्त करके

परिवादी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत सिक्रेटरी एवं प्रधानों उपरोक्त की साजिश से कूटरचित जाली कागजात तैयार कराकर अनुचित धन प्राप्त करके जाली बैनामा कराये है जिससे परिवादी की पैतृक सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करके विवादित कर दिये हैं।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 व साक्षीगण PW1 व PW2 के बयान अंकित किये गया। न्यायालय द्वारा परिवादी व साक्ष्यों के तथ्यों से सन्तुष्ट होते हुये आदेश दिनांकित 20.10.2023 द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय को अन्तर्गत धारा 420 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उसे अपास्त किये जाने हेतु पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० बयान दिया कि "मेरे भाई देवतादीन को मरे 35 साल हो गया। उनका विवाह नहीं हुआ था न कोई लड़का बच्चा नहीं थी। उसके मरने के बाद हमने वरासत कराया। वो लोग फ्राड किये जिसमें प्रेम नरायन प्रधान औऱ रहीमन, महेन्द्र मंत्री, लाले जो कि देवतादीन के लड़के बने। लाले ने मकान नरकटीया में जाल फरेब करके अपना नाम दर्ज कराया। तहसील में मिलकर लाले ने अपने नाम वरासत दर्ज कराया। उसके बाद दीवानी का मुकदमा लाले ने मेरे नाम दर्ज कराया। लाले ने बैनामा किशोरी लाल को कर दिया। बैनामा के बाद कुछ दिन के बाद लाले बीमार हो गये औऱ उनका देहान्त हो गया। उनकी पत्नी राधिका ने भी जमीन मुन्नी देवी और अजमतुल निशा को बेच दिया। राधिका की गवाही बैनामे में प्रेम नरायण व किशोरीलाल का नाम शामिल था। हिने कई बार तहसील व थाने में शिकायत किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच उन लोगों ने सारी जमीन बेच लिया। आज भी उस जमीन पर कब्जा हमारा है। मुन्नी देवी और अजमतुलनिशा जमीन का दाखिल खारिज करा ली है। मेरे जमीन का मुकदमा महसी तहसील में चल रहा है।"

9.' परिवादी द्वारा PW–1 श्रीराम व PW–2 गंगाराम को अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में परीक्षित कराया गया। परिवाद संस्थित किये जाने के पश्चात परिवादी के अभिकथन धारा 200 दं०प्र०सं० व साक्षीगण के अभिकथन धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कराया जाना सम्बन्धित न्यायालय की अधिकारिता का विषय है। उक्त साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2023 पारित किया गया है।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 20.10.2023 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण राधिका देवी, किशोरीलाल, अजमतुलनिशा, मुन्नी देवी, श्रीमती रहीमन, प्रेमनरायन व महेन्द्र

राव के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया।

11. विपक्षी/निगरानीकर्ता को तलब किये जाते समय विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्य का कड़ाई से गुण–दोष का आदेश की अपेक्षा नहीं की जा सकती व उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि इस सन्दर्भ में विस्तार आदेश पारित करे।

12. 2012 (3) JIC 530 (Allahabad) **रामउजागिर मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य** में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः विनिश्चित किया है कि अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किये जाते समय अधीनस्थ न्यायालय से साक्ष्य को कड़ाई से गुण दोष के आधार पर परीक्षित किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती व उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस सन्दर्भ में विस्तारपूर्वक आदेश पारित करे। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये विचारण हेतु अभियुक्तगण को तलब किया है।

13. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2023 में यह आदेश पारित किया है कि–

'पत्रावली तलबी आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथन के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० के तहत एवं साक्षीगण का बयान धारा 202 द०प्र०सं० के तहत कराया गया है तथा प्रपत्र दाखिल किया गया है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 420 भा०द०सं० का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त धाराओं में परीक्षण हेतु आहूत किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण राधिका देवी, किशोरीलाल, अजमतुलनिशा, मुन्नी देवी, श्रीमती रहीमन, प्रेमनरायन व महेन्द्रराव के विरूद्ध धारा 420 भा०दं०सं० के अन्तर्गत जरिए सम्मन दिनांक 04.12.2023 के लिए तलब किये जाते है। परिवादिनी अन्तर्गत धारा 204 सी०आर०पी०सी० के तहत आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें। बाद पैरवी नियमानुसार कार्यालय कार्यवाही करे।"

14. आलोच्य आदेश दिनांकित 20.10.2023 द्वारा अभियुक्तगण को धारा 420 भा०द०सं० हेतु तलब किया गया। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० दिनांकित 05.01.2022 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित

20.10.2023 में कोई प्रपत्र का विवरण एवं सुसंगत विश्लेषण नहीं किया गया और न ही साक्षीगण के साक्ष्य की सवीक्षा की गयी है। अवर न्यायालय का आदेश यांत्रिक है एवं विस्तृत व्यख्या का अभाव है।, जो कि विधि सम्मत नहीं है।

15. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिक त्रुटि कारित की गयी है एवं विधिक क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का पर्याप्त आधार है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण में जो आधार लिये है वह संघार्य है। परिणामतः पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.10.2023 अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

16. दाण्डिक निगरानी संख्या 179/2024, राधिका देवी बनाम उ०प्र० सरकार, थाना हरदी, जनपद बहराइच स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.10.2023 अपास्त किया जाता है।

17. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण एवं विधिक बिन्दु के आलोक में पुनः तलबी के बिन्दु पर परिवादी को सुनवाई का अवसर देते हुये विधि सम्मत आदेश पारित करे।

18. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु तत्काल विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

19. निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण सम्बन्धित विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.04.2026 को उपस्थित हो।

(कविता निगम)
दिनांकः 10.03.2026 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(कविता निगम)
दिनांकः 10.03.2026 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।